रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022021-225000
CG-DL-E-06022021-225000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942
No. 513] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

का.आ. 565(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

बोर बाघ रिज़र्व वर्धा जिले में 138.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और महाराष्ट्र राज्य में वर्धा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर और नागपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;

और, महाराष्ट्र सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (v) के प्रावधानों के अधीन राजपत्र अधिसूचना सं. डब्ल्यूएलपी.0114/सी.आर.26/एफ-1, दिनांक 16 अगस्त, 2014 द्वारा बोर बाघ रिज़र्व (बोर वन्यजीव अभयारण्य, नया बोर वन्यजीव अभयारण्य और विस्तृत नया बोर वन्यजीव अभयारण्य) घोषित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित अभयारण्य शामिल हैं, अर्थात्:

(i) बोर वन्यजीव अभयारण्य (61.10 वर्ग किलोमीटर) वर्धा और नागपुर जिला

(ii) नया बोर वन्यजीव अभयारण्य (60.69 वर्ग किलोमीटर) वर्धा और नागपुर जिला

(iii) विस्तृत नया बोर वन्यजीव (16.32 वर्ग किलोमीटर) वर्धा और नागपुर जिला है;

और, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम, 1972 की धारा 38 (v) के प्रावधानों के अधीन राजपत्र अधिसूचना सं. डब्ल्यूएलपी-0815/सी.आर.261/एफ-1 दिनांक 04 दिसंबर, 2015 द्वारा बोर बाघ रिज़र्व (बोर वन्यजीव अभयारण्य, नया बोर वन्यजीव अभयारण्य और विस्तृत नया बोर वन्यजीव अभयारण्य) के 678.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया गया;

और, बोर बाघ रिज़र्व पक्षियों के समृद्ध वास के लिए जाना जाता है इसमें पक्षियों की लगभग 160 प्रजातियां हैं जिनमें प्रवासी और जलपक्षी शामिल हैं। इस क्षेत्र में भारतीय मूल के क्षेत्रीय पक्षियों की संख्या भी अभिलिखित की गई है। इस क्षेत्र में सारस क्रेनस (*एटीगोन एटीगोने*) का प्रजनन होना अभिलिखित किया गया है। इस क्षेत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षियों की प्रजातियां वाइट-रूम्पेड गिद्ध (*जिप्स बेंगालेंसिस*), गोल्डन ओरियोल (*ओरिओलुस कुंडू*), ब्रेन-फिवेर कूक्कू (*हिइरोकोक्कयक्स वैरिउस*), पैराडिस फ्लाई कैचर (*टेरप्सिफोने पैराडिस)*, इगीपतियन गिद्ध (*नेओफरोन पेरचनोपटेरूस*), रेड-हेडुड गिद्ध (*सरकोगयपस कालवुस*), स्टेप्पे ईगल एक्विला (*एक्विला निपलेंसिस*), भारतीय स्पोट्रेड ईगल (*सिलांगा हास्टाटा*), रिवर टर्न स्टेर्ना (*स्टेर्ना औरांटिया*), ब्लैक-हेडुड इबिस (*टरेसकिओमिस मेलोनाकेफालुस*), पेंटेड स्ट्रोक (*मायेस्टेरिया लेउकोकेफला*), वूल्लय नेक्केड स्ट्रोक (*किकोनिया इपिस्कुपुस*) आदि अभिलिखित की गई है;

और, यह क्षेत्र दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों द्वारा बहुत उच्च वनस्पति विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान वनस्पति प्रजातियों में कचनार (*बउहिनिया राकेमोसा*), ओनला (*फयल्लांथुस इम्बलिका*), ऐन (*टेरमिनालिया टोमेंटोसा*), बेहडा(*टेरमिनालिया बेल्लेरिका*), बेल (*एग्ले मार्मेलोस*), बिस्टेंदु (*डिओस्पयरोस मोंटाना*),चिरोंजी (*बुचानानिया लानजान*), गुलार (*फिकस गलोमेराटा*), हिरदा (*टेर्मिनालिया चेबुला*), कुसुम *(स्चलेचेरा ओलेओसा),* लेंदिया (*लागेस्टोइमिया पर्विफ्लोरा*), पलास (*बुटेसा फरोंदोसा*), सलाई (*बोस्वेल्लिया सेर्राटा),* शिवान (*गमेलिना अरबोरिया*), सूर्या (*क्यलिया कयलोकारपा*), तेंदु (*डिओस्पयरोस मालानोक्यलोन*), तोनदरी (*केसअरिया टोमेंटोसा*), वारंग (*कयदिया कलयसिना*), वाईट कुडा (*होलार्हेना अंथिडयसेंटरिका)* आदि शामिल है;

और, बोर बाघ रिज़र्व पक्षियों में स्तनधारियों की 30 प्रजातियों, सरीसृपों की 26 और उभयचरों की कई प्रजातियों को अभिलिखित किया गया है। यह महत्त्वपूर्ण लुप्तप्राय और अतिसंवेदनशील वन्यजीव जैसे बाघ (*पेन्थेरा टिगरिस),* तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), वन्यजीव कुत्ता (*कुओन अल्पिनेस),* फोर होर्नेड-अंटेलोपे (*टेटराकेरूस क्यादरिकोरनिस*), सांभर (*रुसा यूनीक्लोर*), आदि को भी आश्रय प्रदान करता है;

और, उपर्युक्त अभयारण्य के मानव वास और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अत्यंत निकट होने से अभयारण्य के लिए, उचित सुरक्षा उपायों और ऐसे क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है;

और, बोर बाघ रिजर्व को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 26.50 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बोर बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर **0.5 किलोमीटर से 26.50 किलोमीटर** तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल **678.14 वर्ग किलोमीटर** है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) मुख्य अवस्थानों और भूमि उपयोग पैटर्न के भू-निर्देशांकों के साथ बोर बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

(4) बोर बाघ रिजर्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक –III** की सारणी क और सारणी ख के रूप में संलग्न है।

(5) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक -IV** में दी गई है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) बोर बाघ रिज़र्व का बफर जोन पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भाग बनेगा और आंचलिक महायोजना की तैयारी के दौरान बाघ संरक्षण योजना को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(4) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) वन और वन्यजीव;

(ii) पर्यावरण;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) नगरपालिका;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(6) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(7) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(8) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(9) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने तथा निम्न कार्य कलापों के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार

होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार

		के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन प्रतिषिद्ध किया जाएगा। प्रबुद्ध संकेतबोर्ड और होर्डिंग को ग्रामस्थानों और नगरों के अंतर्गत प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए।
10.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : तथापि विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के

	स्थापना ।	निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के

	ढांचा।	अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी: परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	स्पॉट लाइट और फल्ड लाइट का	सभी विद्यमान और आगामी संस्थान/उद्योग/ पारिस्थितिकी–पर्यटन सुविधाएं अपने परिसर में परिवेश प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करेंगी

	उपयोग।	ताकि रात्रिचर वन्यजीव को कोई परेशानी न हो: परंतु यह कि आपातकालीन संचालन के मामले में और नियमित पैट्रोलिंग के दौरान वन विभाग/सरकारी एजेंसियों/ संस्थानों को स्पॉटलाइट्स का उपयोग करने की अनुमति होगी।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.स.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
1.	जिला कलेक्टर, वर्धा	अध्यक्ष, पदेन;
2.	जिला कलेक्टर, नागपुर-वर्धा के प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	क्षेत्र निदेशक, बोर बाघ रिजर्व के एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में (विरासत संरक्षण सहित) काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि	सदस्य;

5.	क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
6.	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य;
7.	महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
9.	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	उप वन संरक्षक, नागपुर	सदस्य;
11.	उप वन संरक्षक, वर्धा	सदस्य- सचिव

6. निर्देश–निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के **पैराग्राफ 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **अनुलग्नक** V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे । [फा. सं. 25/18/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक-I

बोर बाघ रिजर्व और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर :- रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 146, 152 की सीमा, धामकुंड की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 122/2, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.180, पीलापुर, पीपारी, गरपीट की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.132/3, लींग मंडवी, बोरगांव चेक- 1 एवं 2 की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.126/4, सवल की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 126/1, 164/3, 164/7, 164/1, अजनदोह की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 164/5, 164/4, कन्नमवरग्राम की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.165/2, जौरखेड़ा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 161/1, 160/1, जोगा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.176/1, 177/1, डोंगरगांव की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.177/2, राहाती की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.178/6, नागाजारी की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.179/4, मसोद की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.70, कम्थी, भोपापुर की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 86/4, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं.37,34, खैरी – अमगांव, गौराला, गीडामागढ़, अमगांव, देवली (कालाबंदे), डीगदोह की ग्राम सीमा, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 775, आगरगांव की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.154/4, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं.293, 291, 292, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 168, 169/4।

पूर्व:- रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 299, 300, 302, 308, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.176/1, देगमा (बू) की ग्राम, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 183/4, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 187/1, 186, कनोलीबारा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.187/10, 188/5, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 189/4, अजनगांव की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 255/1, 255/2 सोमालगढ़ की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 256, खड़की की ग्राम सीमा।

दक्षिण:- अमगांव, केलजर की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 254/2, वडगांव की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.253, जूनगढ़ की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 252, 249/1,.248/1, 246/2, अकोली, जूनेवन, हीनग्री की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.240/1, डोंगरगांव की ग्राम सीमा, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 239क, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट 239/1, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 241 बीड बोरखेड़ी की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 229, 228, 227/1, 227/2, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 220क, तामासवाडा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.220/1, 217/1, मदनी की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 204, 204/1, 203, मदना, थेका-सवाद की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 205, 201, 201/1, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.197/1, सहेली की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.196/3, 196/2, 196/1, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.185/2, 184, 185/1 संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.186, लडगध की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.189/5, 189/6, 189/7, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 229, वनरकुंड की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट 198/1, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.191, कचनूर की ग्राम सीमा, मोरंगना की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.192/9।

पश्चिम:- तालेगांव, नन्ही, चांदनी, बोथाली, पीम्पलखूटा, गुंदमुंद, महादापुर, खैरवाडा, ब्रह्माणवाडा, की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 139/1, 139/2, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं.173, पंजरागोंदी की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.138, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.136, बेलारा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.135, 134।

अनुलग्नक-II

बोर बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानचित्र सहित मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर

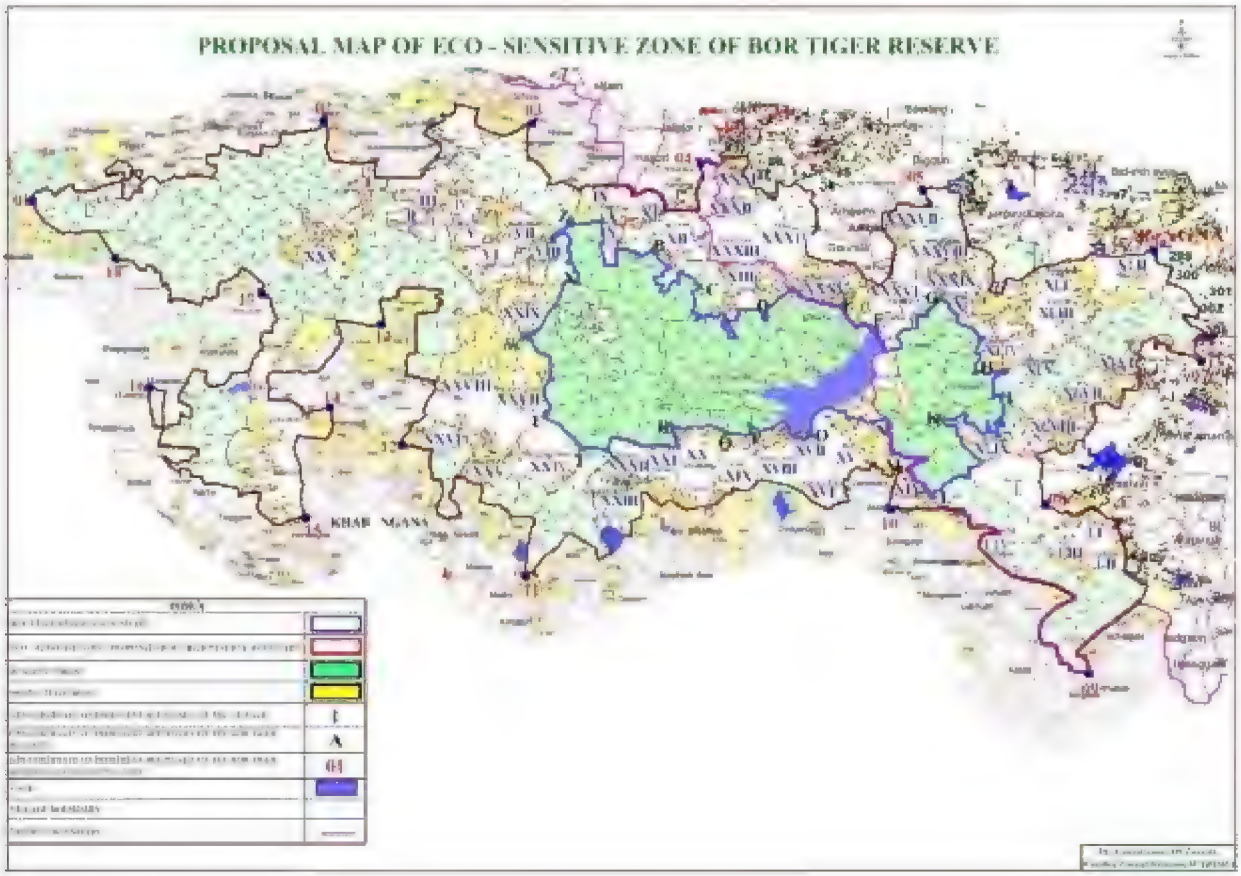

अनुलग्नक- III

सारणी क: बोर बाघ रिज़र्व की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
ए)	78⁰ 36' 04.361" उ	21⁰ 03' 12.340" पू
बी)	78⁰ 37' 28.593" उ	21⁰ 02' 23.123" पू
सी)	78⁰ 38' 47.809" उ	21⁰ 01' 21.641" पू
डी)	78⁰ 40' 24.591" उ	21⁰ 00' 46.362" पू
ई)	78⁰ 42' 44.463" उ	21⁰ 00' 47.882" पू
एफ)	78⁰ 43' 40.749" उ	21⁰ 00' 11.235" पू
जी)	78⁰ 45' 17.814" उ	21⁰ 00' 58.679" पू
एच)	78⁰ 46' 21.865" उ	20⁰ 58' 57.148" पू
आई)	78⁰ 47' 09.132" उ	20⁰ 58' 20.469" पू
जे)	78⁰ 47' 01.5816" उ	20⁰ 57' 15.849" पू
के)	78⁰ 45' 28.024" उ	20⁰ 57' 43,594" पू
एल)	78⁰ 45' 12.496" उ	20⁰ 55' 35.617" पू
एम)	78⁰ 44' 07.197" उ	20⁰ 55' 44.356" पू
एन)	78⁰ 43' 56.3071" उ	20⁰ 57' 41.346" पू
ओ)	78⁰ 41' 52.717" उ	20⁰ 57' 15.802" पू
पी)	78⁰ 40' 16.030" उ	20⁰ 57' 15.802" पू
क्यू)	78⁰39'31.987" उ	20⁰ 57' 20.182" पू
आर)	78⁰38' 02.491" उ	20⁰ 57' 31.820" पू
एस)	78⁰36' 15.597" उ	20⁰ 56' 50.620" पू
टी)	78⁰35' 32.875" उ	20⁰ 56' 54.743" पू
यू)	78⁰34' 33.823" उ	20⁰ 57' 51.185" पू
वी)	78⁰34' 54.324" उ	20⁰ 58' 56.267" पू
डब्ल्यू)	78⁰34' 05.504" उ	21⁰00' 06.076" पू
एक्स	78⁰35' 28.539" उ	21⁰01' 26.684" पू
वाई)	78⁰34' 45.603" उ	21⁰02' 39.636" पू
जेड)	78⁰35' 15.208" उ	21⁰03' 10.957" पू

सारणी ख: बोर बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1.	78⁰28' 24.993" उ	21⁰06' 07.279" पू
2.	78⁰29' 24.993" उ	21⁰04' 23.561" पू
3.	78⁰32' 01.156" उ	21⁰06' 24.493" पू

4.	78°34' 19.626" उ	21°05' 55.931" पू
5.	78°34' 37.474" उ	21°04' 11.461" पू
6.	78°37' 51.280" उ	21°03' 25.673" पू
7.	78°40' 06.720" उ	21°04' 57.377" पू
8.	78°41' 44.468" उ	21°02' 14.769" पू
9.	78°44' 55.240" उ	21°04' 03.609" पू
10.	78°46' 10.296" उ	21°02' 20.178" पू
11.	78°49' 36.111" उ	21°02' 20.499" पू
12.	78°52' 34.773" उ	21°00' 47.461" पू
13.	78°52' 35.295" उ	20°59' 19.702" पू
14.	78°50' 52.361" उ	20°58' 28.310" पू
15.	78°49' 02.780" उ	20°56' 46.430" पू
16.	78°46' 10.861" उ	20°56' 21.517" पू
17.	78°49' 37.499" उ	20°55' 16.458" पू
18.	78°51' 07.296" उ	20°53' 21.933" पू
19.	78°49' 34.466" उ	20°50' 43.709" पू
20.	78°47' 30.902" उ	20°53' 21.933" पू
21.	78°44' 01.969" उ	20°55' 10.384" पू
22.	78°42' 22.402" उ	20°55' 13.177" पू
23.	78°39' 43.004" उ	20°55' 39.065" पू
24.	78°36' 56.195" उ	20°54' 27.767" पू
25.	78°34' 18.626" उ	20°51' 22.359" पू
26.	78°31' 50.031" उ	20°54' 57.407" पू
27.	78°30' 05.434" उ	20°00' 15.943" पू
28.	78°27' 12.259" उ	20°54' 58.692" पू
29.	78°23' 29.015" उ	20°56' 42.769" पू
30.	78°24' 51.501" उ	20°59' 07.160" पू
31.	78°24' 11.501" उ	20°05' 04.703" पू

32.	78°22' 42.128" उ	21°02' 06.802" पू
33.	78°20' 29.513" उ	20°03' 43.367" पू
34.	78°21' 30.759" उ	21°04' 06.632" पू
35.	78°24' 21.712" उ	20°04' 20.929" पू
36.	78°25' 36.851" उ	21°05' 17.651" पू

अनुलग्नक- IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	संभाग का नाम	श्रेणी का नाम	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
I	वर्धा	खारंगना	तुलाना	उ-78 29 21.697	पू-21 04 11.309
II		करंजा	बंगादपुर	उ-78 30 48.693	पू-21 03 07.564
III			भीवापुर	उ-78 30 57.190	पू-21 04 03.443
IV			राईपुर	उ-78 32 02.910	पू-21 04 00.136
V			अम्बौरा	उ-78 32 29.117	पू-21 03 04.353
VI			सिंधीविहिरी	उ-78 33 13.447	पू-21 02 16.864
VII			बुधलागढ	उ-78 34 00.863	पू-21 03 01.103
VIII			येनी दोदाका	उ-78 34 23.948	पू-21 02 04.044
IX			धानोली	उ-78 36 30.536	पू-21 03 36.624
X			उमारविहिरी	उ-78 36 19.766	पू-21 02 38.168
XI			कुरहा	उ-78 37 27.784	पू-21 03 42.323
XII			मेथीरजी	उ-78 38 16.312	पू-21 02 29.118
XIII		हिंगानी	गराम्सुर	उ-78 39 48.826	पू-21 01 17.608
XIV			वानारविहिरा	उ-78 36 18.347	पू-21 02 36.044
XV			बोरी	उ-78 42 42.736	पू-20 56 43.064
XVI			गोहादाकाला	उ-78 41 58.987	पू-20 55 55.068
XVII			गोहादाखुर्द	उ-78 41 26.572	पू-20 57 09.924
XVIII			सालइपेवाथ	उ-78 40 45.401	पू-20 56 30.034
XIX			सोनदी	उ-78 39 47.594	पू-20 56 38.619

XX			सालाइकाला	उ-78 38 36.738	पू-20 56 28.791
XXI			दोदकी	उ-78 37 42.513	पू-20 56 21.328
XXII			अम्गांव	उ-78 36 42.999	पू-20 56 42.14
XXIII			राईपुर जुंगली	उ-78 35 56.513	पू-21 55 55.935
XXIV			मेलेगांव थेका	उ-78 34 38.080	पू-20 57 06.913
XXV		खारंगना	बरम्हांवादा	उ-78 32 57.581	पू-20 56 27.624
XXVI			खापरी	उ-78 31 03.421	पू-20 57 27.822
XXVII			बोरगांव गोन्दी	उ-78 33 41.943	पू-20 57 48.032
XXVIII			सुसुन्द	उ-78 32 33.719	पू-20 58 14.617
XXIX		करंजा	माराकसुर	उ-78 33 59.767	पू-21 00 48.441
XXX		खारंगना	धागा	उ-78 28 23.794	पू-21 02 26.405
XXXI	नागपुर	हिंगना	किनकिघोडा	उ-78 39 43.895	पू-21 04 34.162
XXXII			प्रतापगढ़	उ-78 39 32.320	पू-21 03 48.603
XXXIII			धोतीवाडा	उ-78 39 46.419	पू-21 02 33.263
XXXIV			खापा	उ-78 41 01.776	पू-21 02 53.356
XXXV			गोथानगांव	उ-78 42 20.307	पू-21 01 38.549
XXXVI			अदेगांव	उ-78 44 30.529	पू-21 00 48.111
XXXVII			खापा खुर्द	उ-78 45 32.390	पू-21 01 51.514
XXXVIII			खापा निपानी	उ-78 45 32.390	पू-21 01 51.514
XXXIX			खापा खोरी	उ-78 44 03.311	पू-21 03 06.671
XL			मोहगांव (धोले)	उ-78 46 05.311	पू-21 01 20.418
XLI			येरान्गांव	उ-78 48 52.820	पू-21 02 42.415
XLII			देगमा खुर्द	उ-78 50 50.265	पू-21 01 48.402
XLIII			कवादास	उ-78 48 40.217	पू-21 01 01.445
XLIV			धानोली	उ-78 36 30.536	पू-21 03 36.624
XLV			नावेगांव	उ-78 47 55.861	पू-21 59 15.302
XLVI			कोकरदी	उ-78 50 28.938	पू-21 58 58.352
XLVII			येतेवाही	उ-78 49 09.196	पू-21 58 04.884

XLVIII	नागपुर	हिंगना	कजाली	उ-78 48 16.781	पू-21 57 21.705
XLIX			पेनधारी	उ-78 46 55.188	पू-21 57 06.548
L			देओली	उ-78 47 23.219	पू-21 56 07.062
LI			सावली	उ-78 49 42.581	पू-21 54 45.740
LII			अलेसुर	उ-78 49 19.178	पू-21 54 09.147
LIII			बिबी	उ-78 49 05.128	पू-21 54 16.272
LIV			चाउकी	उ-78 47 30.070	पू-21 54 56.606

अनुलग्नक-V

की गई कार्रवाई - सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2021

S.O. 565(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS,the Bor Tiger Reserve is spread over an area of 138.11 square kilometers in the Wardha district andis located 40 kilometers away from Wardha district headquarters and 65 kilometers away from Nagpur in the State of Maharashtra;

AND WHEREAS,Government of Maharashtra vide its Gazette Notification No. WLP. 0114/C.R.26/F-1,dated 16th August,2014; has declared Bor Tiger Reserve (Bor Wildlife Sanctuary, New Bor Wildlife Sanctuary and Extended New Bor Wildlife Sanctuary) under the provisions of section 38 (V) of Wildlife (Protection) Act, 1972 comprising of the following Sanctuaries in the state of Maharashtra namely :

(i) Bor Wildlife Sanctuary (61.10 square kilometer) District Wardha and Nagpur
(ii) New Bor Wildlife Sanctuary (60.69 square kilometer) District Wardha and Nagpur
(iii) Extended New Bor Wildlife Sanctuary (16.32 square kilometer) District Wardha and Nagpur;

AND WHEREAS, the State Government of Maharashtra vide its Gazette Notification No. WLP-0815/C.R.261/F-1 dated 04th December, 2015 declared 678.14 square kilometer as the buffer area of Bor Tiger Reserve (Bor Wildlife Sanctuary, New Bor Wildlife Sanctuary& Extended New Bor Wildlife Sanctuary) under the provisions of section 38(V) of Wildlife (Protection), Act, 1972;

AND WHEREAS, the Bor Tiger Reserve is known to harbor rich avifauna with about 160 species of birds including migratory and water birds.A number of territorial birds of Indian origin are also recorded from the area. The breeding of saras cranes (*Antigone antigone*) have been recorded from this region. Someimportant birds species recorded from the area are white-rumped vulture(*Gyps bengalensis*), golden oriole (*Oriolus kundoo*), brain-fever cuckoo (*Hierococcyx varius*), paradise fly catcher (*Terpsiphone paradise)*, Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*), red-headed vulture (*Sarcogyps calvus*), steppe eagle Aquila (*Aquila nipalensis*), Indian spotted eagle(*Clanga hastata*), river tern sterna (*Sterna aurantia*), black-headed Ibis (*Treskiomis melanocephalus*), painted stork (*Myesteria leucocephala*), woolly necked stork (*Ciconia episcopus*) etc;

AND WHEREAS, the area has very high floral diversity represented by Southern Tropical Dry Deciduous Forests. The floral species present in the area include Kachnar (*Bauhinia racemosa*), Aonla (*Phyllanthus emblica*), Ain (*Terminalia tomentosa*), Behada(*Terminalia bellerica*), Bel (*Aegle marmelos*), Bistendu (*Diospyros montana*), Chironji (*Buchanania lanzan*), Gular (*Ficus glomerata*), Hirda (*Terminalia chebula*), Kusum (*Schleichera oleosa*), Lendia (*Lagerstroemia parviflora*), Palas (*Butea frondosa*), Salai (*Boswellia serrata*), Shiwan (*Gmelina arbórea*), Surya (Xylia xylocarpa), Tendu (Diospyros malanoxylon), Tondri (*Casearia tomentosa*), Warang (*Kydia calycina*), White kuda (*Holarrhena anthidysentrica*) etc;

AND WHEREAS, the Bor tiger reserve records 30 species of mammals, 26 species of reptiles and many species of amphibian. It also supports important endangered and vulnerable wildlife such as tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), wild dog (*Cuon alpines)*, four horned-antelope (*Tetracerus quadricornis*), sambar deer (*Rusa unicolor*) etc;

AND WHEREAS,the extremely close vicinity of the above-mentioned sanctuaries to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Bor Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity

point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act)read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an areato an extent of 0.5 kilometerto 26.50 kilometersaround the boundary of Bor Tiger Reserveas Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-SensitiveZone.** – (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of **0.5 kilometreto 26.50 kilometre** around the boundary of Bor Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive zone **678.14 square kilometres.**

(2) Theextent and boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(3) Map of Eco-Sensitive Zone of Bor Tiger Reservealong with geo-coordinates of prominent locations and land use pattern are appended as **Annexure-II.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Bor Tiger Reserve and its Eco-sensitive zoneis appended as Table A and B of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-Sensitive Zone is given in **Annexure-IV**.

2. **Zonal Master Plan for Eco-SensitiveZone.** - (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The buffer zone of the Bor Tiger Reserve shall form part of the Eco-sensitive Zone and the Tiger Conservation Plan shall also be taken into consideration during the preparation at the Zonal Master Plan.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Forest and Wildlife;
(ii) Environment;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii)Municipal;
(viii) Maharashtra State Pollution Control Board.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.** -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental Actand rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.**-Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) **Construction and demolition waste management.** - The construction and demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution**. - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out with in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel.

(16) **Industrial units**. –

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Board in February 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes**. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-SensitiveZone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited

9.	Commercial Sign boards and hoardings.	Prohibited under applicable laws. Illuminated signboards and hoarding should be prohibited except within gaothans and towns.
10.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force.
		B. Regulated Activities
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

	new roads.	
19.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
26.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.
31.	Use of spotlight and floodlighting.	All existing and upcoming institutions / industries / eco-tourism facilities shall use ambient lighting in their premises so that the nocturnal wildlife does not get disturbed: Provided that in the case of emergency operations and during regular patrolling the Forest Department/ Government agencies/institutions would be permitted to use spotlights.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.

	fuels.	
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee. - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:—

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Wardha	Chairman, ex officio;
2.	Representative of District Collector, Nagpur-Wardha	Member;
3.	A representative of Field Director, Bor Tiger Reserve	Member;
4.	A representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
5.	Regional Office, Maharashtra State Pollution Control Board	Member,
6.	Senior Town Planner of the area	Member;
7.	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	Member;
8.	One Expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
9.	A representative of State Biodiversity Board	Member;
10.	Deputy Conservator of Forest, Nagpur	Member;
11.	Deputy Conservator of Forest, Wardha	Member Secretary

6. Terms of Reference. – (1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7.Additional Measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8.Supreme Court, etc. orders. -The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/18/2020-ESZ]

DR. SATISH C GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE I

BOUNDARY DESCRIPTION OF BOR TIGER RESERVE AND ECO-SENSITIVE ZONE

North :- Boundary of Reserved Forest Compartment No. 146, 152, Village Boundary of Dhamkund, Protected Forest Compartment No. 122/2, Protected Forest Compartment No.180, Village Boundary of Pilapur, Pipari, Garpit, Protected Forest Compartment No. 132/3, Village Boundary of Linga Mandvi, Borgaon Chek-1 & 2, Protected Forest Compartment No. 126/4, Village Boundary of Sawal, Protected Forest Compartment No. 126/1, 164/3, 164/7, 164/1, Village Boundary of Ajandoh, Protected Forest Compartment No. 164/5, 164/4, Village Boundary of Kannamwargram, Protected Forest Compartment No. 165/2, Village Boundary of Jaurkheda, Protected Forest Compartment No. 161/1, 160/1, Village Boundary of Joga, Protected Forest Compartment No. 176/1, 177/1, Village Boundary of Dongargaon, Protected Forest Compartment No. 177/2, Village Boundary of Rahati, Protected Forest Compartment No. 178/6, Village Boundary of Nagazari, Protected Forest Compartment No. 179/4, Village Boundary of Masod, Protected Forest Compartment No. 70, Village Boundary of Kamthi, Bhopapur, Pusagondi, Protected Forest Compartment No. 86/4, Reserved Forest Compartment No. 37, 34, Village Boundary of Khairi-Amgaon, Gaurala, Gidamagad, Amgaon, Deoli (Kalabande), Digdoh, Reserved Forest Compartment No. 775, Village Boundary of Agargaon, Protected Forests Compartment No. 154/4, Reserved Forest Compartment No. 293, 291, 292, Protected Forest Compartment No. 168, 169/4.

East :- Reserved Forest Compartment No.299, 300, 302, 308, Protected Forest Compartment No.176/1, Village Boundary of Degma (Bu), Protected Forest Compartment No. 183/4, Protected Forest Compartment No. 187/1, 186, Village Boundary of Kanolibara, Protected Forest Compartment No. 187/10, 188/5, Protected Forest Compartment No. 189/4, Village Boundary of Ajangaon, Protected Forest Compartment No. 255/1, 255/2 Village Boundary of Somalgad, Protected Forest Compartment No. 256, Village Boundary of Khadki.

South :- Village Boundary of Amgaon, Kelzar, Protected Forest Compartment No. 254/2, Village Boundary of Wadgaon,, Protected Forest Compartment No.253,Village Boundary of Jungad, Protected Forest Compartment No. 252, 249/1,.248/1, 246/2, Village Boundary of Akoli, Junewani, Hingni, Protected Forest Compartment No. 240/1, Village Boundary of Dongargaon, Reserved Forests Compartment No. 239A, Protected Forest Compartment No.239/1, Protected Forest Compartment No 241, Village Boundary of Bid Borkhedi, Protected Forest Compartment No. 229, 228, 227/1, 227/2 Reserved Forests Compartment No. 220A, , Village Boundary of Tamaswada, Protected Forest Compartment No.220/1, 217/1, Village Boundary of Madni, Protected Forest Compartment No. 204, 204/1, 203, Village Boundary of Madna, Theka-Sawad, Protected Forest Compartment No.205, 201, 201/1, Protected Forest Compartment No 197/1, Village Boundary of Saheli, Protected Forest Compartment 196/3, 196/2, 196/1, Protected Forest Compartment No 185/2, 184, 185/1 Protected Forest Compartment No 186, Village Boundary of Ladgadh, Protected Forest Compartment No 189/5, 189/6, 189/7, Protected Forest Compartment No 229, Village Boundary of Wanarkund, Protected Forest Compartment No 198/1, Protected Forest Compartment No 191, Village Boundary of Kachnur, Village Boundary of Morangna. Protected Forest Compartment No 192/9.

West :- Village Boundary of Talegaon, Nanhi, Chandni, Bothali, Pimpalkhuta, Gundmund, Mahadapur, Khairwada, Bramhanwada, Protected Forest Compartment No. 139/1, 139/2, Reserved Forests Compartment No. 173, Village Boundary of Panjaragondi, Protected Forest Compartment No. 138, Protected Forest Compartment No. 136, Village Boundary of Belara, Protected Forest Compartment No. 135, 134.

ANNEXURE II

ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF BOR TIGER RESERVEALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

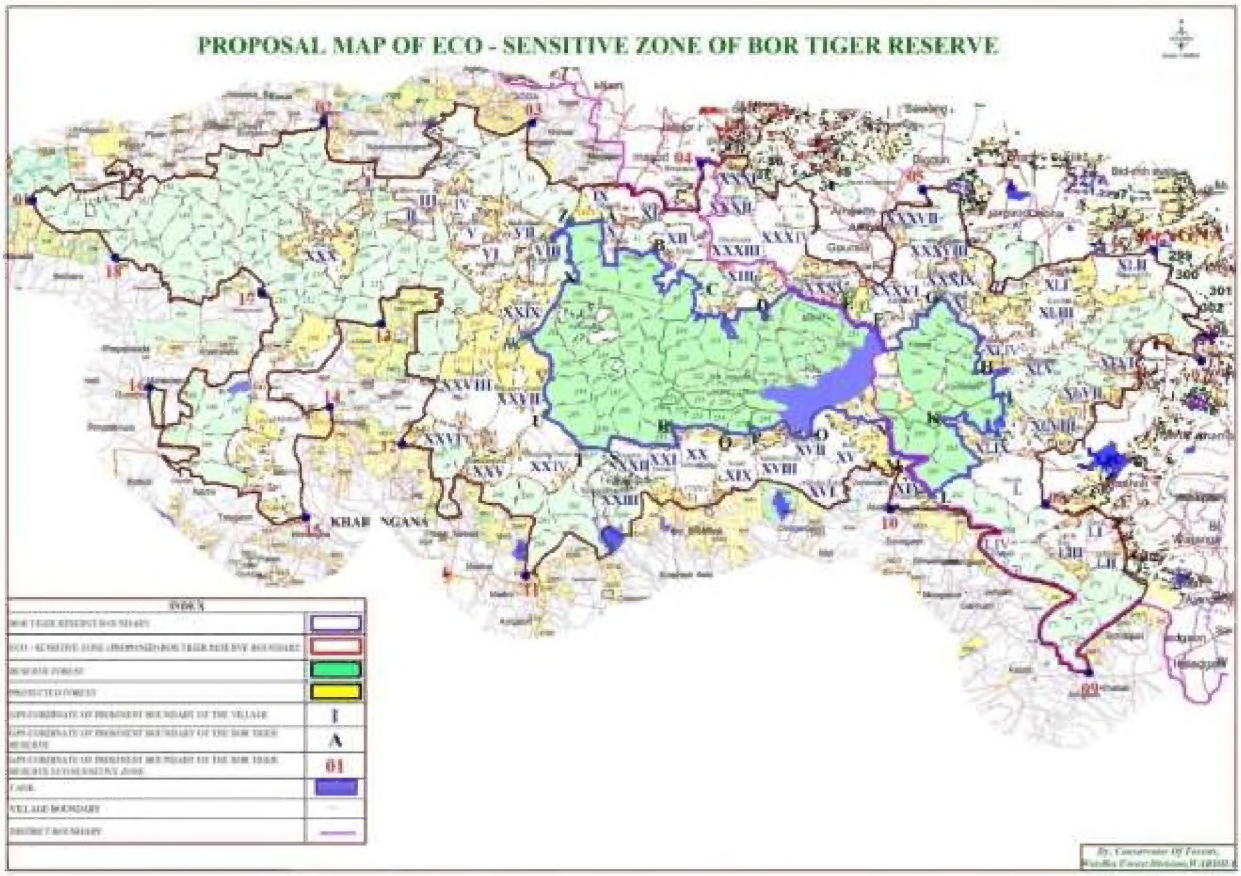

ANNEXURE - III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF BOR TIGER RESERVE

SR.NO	LONGITUDE	LATITUDE
A)	78^0 36' 04.361" N	21^0 03' 12.340" E
B)	78^0 37' 28.593" N	21^0 02' 23.123" E
C)	78^0 38' 47.809" N	21^0 01' 21.641" E
D)	78^0 40' 24.591" N	21^0 00' 46.362" E
E)	78^0 42' 44.463" N	21^0 00' 47.882" E
F)	78^0 43' 40.749" N	21^0 00' 11.235" E
G)	78^0 45' 17.814" N	21^0 00' 58.679" E
H)	78^0 46' 21.865" N	20^0 58' 57.148" E
I)	78^0 47' 09.132" N	20^0 58' 20.469" E
J)	78^0 47' 01.5816" N	20^0 57' 15.849" E
K)	78^0 45' 28.024" N	20^0 57' 43,594" E
L)	78^0 45' 12.496" N	20^0 55' 35.617" E
M)	78^0 44' 07.197" N	20^0 55' 44.356" E
N)	78^0 43' 56.3071" N	20^0 57' 41.346" E
O)	78^0 41' 52.717" N	20^0 57' 15.802" E
P)	78^0 40' 16.030" N	20^0 57' 15.802" E
Q)	$78^0$39'31.987" N	20^0 57' 20.182" E
R)	$78^0$38' 02.491" N	20^0 57' 31.820" E
S)	$78^0$36' 15.597" N	20^0 56' 50.620" E
T)	$78^0$35' 32.875" N	20^0 56' 54.743" E
U)	$78^0$34' 33.823" N	20^0 57' 51.185" E
V)	$78^0$34' 54.324" N	20^0 58' 56.267" E
W)	$78^0$34' 05.504" N	$21^0$00' 06.076" E
X)	$78^0$35' 28.539" N	$21^0$01' 26.684" E
Y)	$78^0$34' 45.603" N	$21^0$02' 39.636" E
Z)	$78^0$35' 15.208" N	$21^0$03' 10.957" E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BOR TIGER RESERVE

SR.NO	LONGITUDE	LATITUDE
1.	$78^0$28' 24.993" N	$21^0$06' 07.279" E
2.	$78^0$29' 24.993" N	$21^0$04' 23.561" E
3.	$78^0$32' 01.156" N	$21^0$06' 24.493" E
4.	$78^0$34' 19.626" N	$21^0$05' 55.931" E
5.	$78^0$34' 37.474" N	$21^0$04' 11.461" E
6.	$78^0$37' 51.280" N	$21^0$03' 25.673" E
7.	$78^0$40' 06.720" N	$21^0$04' 57.377" E
8.	$78^0$41' 44.468" N	$21^0$02' 14.769" E
9.	$78^0$44' 55.240" N	$21^0$04' 03.609" E
10.	$78^0$46' 10.296" N	$21^0$02' 20.178" E
11.	$78^0$49' 36.111" N	$21^0$02' 20.499" E
12.	$78^0$52' 34.773" N	$21^0$00' 47.461" E
13.	$78^0$52' 35.295" N	$20^0$59' 19.702" E
14.	$78^0$50' 52.361" N	$20^0$58' 28.310" E
15.	$78^0$49' 02.780" N	$20^0$56' 46.430" E
16.	$78^0$46' 10.861" N	$20^0$56' 21.517" E
17.	$78^0$49' 37.499" N	$20^0$55' 16.458" E
18.	$78^0$51' 07.296" N	$20^0$53' 21.933" E
19.	$78^0$49' 34.466" N	$20^0$50' 43.709" E
20.	$78^0$47' 30.902" N	$20^0$53' 21.933" E
21.	$78^0$44' 01.969" N	$20^0$55' 10.384" E
22.	$78^0$42' 22.402" N	$20^0$55' 13.177" E
23.	$78^0$39' 43.004" N	$20^0$55' 39.065" E
24.	$78^0$36' 56.195" N	$20^0$54' 27.767" E
25.	$78^0$34' 18.626" N	$20^0$51' 22.359" E

26.	78^{0}31' 50.031" N	20^{0}54' 57.407" E
27.	78^{0}30' 05.434" N	20^{0}00' 15.943" E
28.	78^{0}27' 12.259" N	20^{0}54' 58.692" E
29.	78^{0}23' 29.015" N	20^{0}56' 42.769" E
30.	78^{0}24' 51.501" N	20^{0}59' 07.160" E
31.	78^{0}24' 11.501" N	20^{0}05' 04.703" E
32.	78^{0}22' 42.128" N	21^{0}02' 06.802" E
33.	78^{0}20' 29.513" N	20^{0}03' 43.367" E
34.	78^{0}21' 30.759" N	21^{0}04' 06.632" E
35.	78^{0}24' 21.712" N	20^{0}04' 20.929" E
36.	78^{0}25' 36.851" N	21^{0}05' 17.651" E

ANNEXURE- IV

GEO-COORDINATES OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sr.No	Name Of Division	Name Of Range	Name Of Village	Latitude	Longitude
I	Wardha	Kharangna	Tulana	N-78 29 21.697	E-21 04 11.309
II		Karanja	Bangadpur	N-78 30 48.693	E-21 03 07.564
III			Bhiwapur	N-78 30 57.190	E-21 04 03.443
IV			Raipur	N-78 32 02.910	E-21 04 00.136
V			Ambhora	N-78 32 29.117	E-21 03 04.353
VI			Sindhivihiri	N-78 33 13.447	E-21 02 16.864
VII			Budhlagad	N-78 34 00.863	E-21 03 01.103
VIII			YeniDodaka	N-78 34 23.948	E-21 02 04.044
IX			Dhanoli	N-78 36 30.536	E-21 03 36.624
X			Umarvihiri	N-78 36 19.766	E-21 02 38.168
XI			Kurha	N-78 37 27.784	E-21 03 42.323
XII			Methirji	N-78 38 16.312	E-21 02 29.118
XIII		Hingani	Garamsur	N-78 39 48.826	E-21 01 17.608
XIV			Vanarvihira	N-78 36 18.347	E-21 02 36.044
XV			Bori	N-78 42 42.736	E-20 56 43.064
XVI			Gohadakala	N-78 41 58.987	E-20 55 55.068
XVII			Gohadakhurd	N-78 41 26.572	E-20 57 09.924
XVIII			Salaipewath	N-78 40 45.401	E-20 56 30.034
XIX			Sondi	N-78 39 47.594	E-20 56 38.619
XX			Salaikala	N-78 38 36.738	E-20 56 28.791
XXI			Dodki	N-78 37 42.513	E-20 56 21.328
XXII			Amgaon	N-78 36 42.999	E-20 56 42.14
XXIII			Raipur Jungli	N-78 35 56.513	E-21 55 55.935
XXIV			MalegaonTheka	N-78 34 38.080	E-20 57 06.913
XXV		Kharangna	Bramhanwada	N-78 32 57.581	E-20 56 27.624
XXVI			Khapri	N-78 31 03.421	E-20 57 27.822
XXVII			Borgaon Gondi	N-78 33 41.943	E-20 57 48.032
XXVIII			Susund	N-78 32 33.719	E-20 58 14.617
XXIX		Karanja	Maraksur	N-78 33 59.767	E-21 00 48.441
XXX		Kharangna	Dhaga	N-78 28 23.794	E-21 02 26.405
XXXI	Nagpur	Hingna	Kinkighoda	N-78 39 43.895	E-21 04 34.162
XXXII			Pratapgad	N-78 39 32.320	E-21 03 48.603
XXXIII			Dhotiwada	N-78 39 46.419	E-21 02 33.263
XXXIV			Khapa	N-78 41 01.776	E-21 02 53.356
XXXV			Gothangaon	N-78 42 20.307	E-21 01 38.549
XXXVI			Adegaon	N-78 44 30.529	E-21 00 48.111
XXXVII			Khapa Khurd	N-78 45 32.390	E-21 01 51.514
XXXVIII			Khapa Nipani	N-78 45 32.390	E-21 01 51.514
XXXIX			Khapa Khori	N-78 44 03.311	E-21 03 06.671
XL			Mohgaon (Dhole)	N-78 46 05.311	E-21 01 20.418
XLI			Yerangaon	N-78 48 52.820	E-21 02 42.415
XLII			Degma khurd	N-78 50 50.265	E-21 01 48.402
XLIII			Kawadas	N-78 48 40.217	E-21 01 01.445
XLIV			Dhanoli	N-78 36 30.536	E-21 03 36.624

XLV	Nagpur	Hingna	Nawegaon	N-78 47 55.861	E-21 59 15.302
XLVI			Kokardi	N-78 50 28.938	E-21 58 58.352
XLVII			Yetewahi	N-78 49 09.196	E-21 58 04.884
XLVIII			Kajali	N-78 48 16.781	E-21 57 21.705
XLIX			Pendhari	N-78 46 55.188	E-21 57 06.548
L			Deoli	N-78 47 23.219	E-21 56 07.062
LI			Sawali	N-78 49 42.581	E-21 54 45.740
LII			Alesur	N-78 49 19.178	E-21 54 09.147
LIII			Bibi	N-78 49 05.128	E-21 54 16.272
LIV			Chauki	N-78 47 30.070	E-21 54 56.606

ANNEXURE - V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive ZoneMonitoring Committee. -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2021.02.06 14:12:54 +05'30'